उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या – 33/2017

केनरा बैंक, रामगढ कैन्ट बनाम् राजेन्द्र प्रसाद वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
12-09-2018	**– आदेश –** अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत प्रदाधिकारी केनरा बैंक, रामगढ़ कैन्ट द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् राजेन्द्र प्रसाद, पिता–स्व0 पन्ना प्रसाद एवं श्रीमति निशा देवी, पति–राजेन्द्र प्रसाद, साकिन सौदागर मोहल्ला, रामगढ़, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने के लिए अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में वाद दायर किया गया है। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा उक्त एक्ट के तहत् कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, साथ ही इस वाद में बनाये गये विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वाद के संबंध में विपक्षी के पास कोई वैध दावा/दस्तावेज नही है। फलतः प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर एकपक्षीय सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी ने अपनी सम्पति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना को गिरवी रखते हुए बैंक से ऋण लिया गया था, जिसे अबतक उनके द्वारा नही चुकाया गया है। साथ ही उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्ता का खाता एन.पी.ए. हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा सरफेसी एक्ट–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी कि दिशा में कोई पहल ऋणकर्ता के द्वारा नही किया गया है। इन्होने अनुरोध किया है कि सरफेसी एक्ट–2002 की धारा 14 में निहित प्रावधान के तहत प्रश्नगत सम्पति/भूमि पर दखल कब्जा दिलाई जाय।	

Scanned by CamScanner

अंचल अधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–837 दिनांक 28.03.2018 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खतियानी रैयत कारू साव, डोमन साव, पिता–ज्ञान साव, पंजी–2 के रैयत राजेन्द्र प्रसाद, पिता–स्व0 पन्ना प्रसाद के नाम से खाता सं0 59, प्लॉट सं0 3002, रकवा 0.04 ए0 भूमि की जमाबंदी राजस्व पंजी–2 के पृष्ठ सं0 83/25 पर दाखिल खारिज वाद संख्या– 295/2004–05 के अनुसार कायम है, रसीद वर्ष 2004–05 तक निर्गत है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई पहल नही किया गया है और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी, जो उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थियों में सरफेसी एक्ट–2002 की धारा 14 (1 एवं 2) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, केनरा बैंक, रामगढ़ कैन्ट के द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शान्ति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारन हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

619/विधि
15/09/2018

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

12/9/18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

12/9/18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

Scanned by CamScanner